कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 2( )2013/कार्मिक/प्रमुवस/ 59-159   दिनांक 26 फरवरी, 2013

निमित,

समस्त वनाधिकारी

विषय :- क्षेत्रीय प्रथम द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्मिक (क–1/गोप्र) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 13 (76) कार्मिक/क–1/गोप्र/2011 दिनांक 10.4.2011, 17.5.2011 तथा 31.1.2012 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वर्ष अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण सावर्जनिक किया जाना वांछनीय है। जो राजपत्रित अधिकारी अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनकी विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति, एम्पेनलमेंट पर विचार नहीं किये जाने तथा आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं किये जाने के निर्देश भी राज्य सरकार के उक्त परिपत्रों में उल्लेखित है।

अतः आप अपने अधिनस्थ कार्यरत समस्त क्षेत्रीय प्रथम को पाबन्द करें कि वे वर्ष 2012 के लिये (दिनांक 01.01.2013 की स्थिति अनुसार) अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को आपके माध्यम से दिनांक 15.3.2013 तक आवश्यक रूप से प्रेषित कर दें। जिन क्षेत्रीय प्रथम द्वारा उक्त निर्धारित तिथि तक अपनी अचल सम्पत्ति का विवरण निर्धारित प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत किया जावे, उनको ही आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत करना आप अपने स्तर से सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

26

(एस.एन.सिंह)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(प्रशासन)
राजस्थान, जयपुर

DCF(IT)
4/3/13

श्री किशनसिंह जी RO-I को नोट्स कराये
4/3/13

& Please upload
4/3/13